International Journal for Research Publication and Seminar
ISSN: 2278-6848 | Vol. 16 | Issue 1 | Jan-Mar 2025 | Peer Reviewed & Refereed

वैष्वीकरण का समाज पर पडने वाला प्रभाव ओर बढती घरेलु–हिंसा।

अजय दीक्षित, शोधार्थी

डॉ कमल कुमार चौहान, शोध निर्देषक
शोधार्थी,शिक्षा संकाय
लार्ड विष्वविद्यालय अलवर–राजस्थान

Check for updates

Published: 02/03/2025 * Corresponding author

सांराश–

अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस एक समग्र संसार का नारी शक्ति के लिए एक बहुत बडा प्रयास है जो समाज मे उसकी मनोदशा ओर विपरित माहौल के प्रति उसकी दशा को दर्शाता है। जिसको वर्तमान में घरेलु हिंसा के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसा कार्य हैं जो कि महिला या बच्चों को शारीरिक या मानसिक क्षति पहुचाता हैं। आज हमारे देश में प्रत्येक महिला किसी न किसी रूप में घरेलु हिंसा का शिकार है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक महिलाओं पर अत्याचार होते आ रहे है। और इस पुरूष प्रधान समाज में महिलाओ पर अत्याचार बढते ही जा रहे है। महिलाओं पर होने वाली हिंसा में महिला व बच्चे दुःखी एवं अपमानित होते है इसके तहत शारीरिक हिंसा, मौखिक एवं भावनात्मक हिंसा, लैंगिक एवं आर्थिक हिंसा या धमकी देना आदि शामिल हैं । महिलाओं के साथ मानसिक एवं शारीरिक रूप से रंग–भेद या अन्य किसी भी कारण से किया गया असहनीय व्यवहार घरेलु हिंसा कहलाता है। घरेलु हिंसा अधिनियम का निर्माण सन् 2005 में किया गया ओर 26 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही महिला बाल विकास द्वारा संचालित की जाती है। हमारे देश में बालिकाओं में अशिक्षा का सबसे बडा कारण निर्धनता है। आज ज्यादातर ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा तथा कमजोर मनोबल पाया जाता है भारतीय समाज में घरेलु हिंसा से तात्पर्य महिलाओं के निकट रिष्तेदारों जैसे माता–पिता, भाई–बहन, सास–ससुर, ननद–भाभी या परिवार के किसी सदस्य अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला हिंसात्मक व्यवहार है जो नारी को शारीरिक, मानसिक आघात पहुंचाती है। महिलाओं को शारीरिक मानिसक एवं मौखिक इत्यादि प्रताडित किये जाने वाला कार्य घरेलु हिंसा कहलाता हैं। महिलाओं को आज अनेक प्रकार से प्रताडित किया जाता हैं। विधवाओं को अनेक अधिकारों से वचित रखा जाता है उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट दिये जाते है यहा तक कि दहेज को लेकर नारी को जिन्दा जला दिया जाता है ।

वैष्वीकरण एक तरह से आर्थिक सीमाओं का समापन है। विभिन्न देशों नई आर्थिक नीतियों वैष्वीकरण प्रक्रिया पर प्रभाव पडा है। 1991 में भारत में जो प्रक्रिया पर प्रभाव पडा है। वैष्वीकरण से जनता के विविध क्षेत्र प्रभावित हैं जो ऋण के बोझ तले दबे वैष्विक व्यवस्था बढती आय विभिन्नता असमानता गरीबों असहाय बना दिया महिलाओं की स्थिति एवं भूमिका पर वैष्वीकरण प्रभाव पडा है।

मानव विकास से विष्लेषण होता है कि वैष्वीकरण ने विकास एवं सुधार की तुलना में महिलाओं का पतन किया हैं उदाहरण के लिए विष्व में भारत लिंग अनुपात पर एक महिला स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का उपयोंग कर पाती है। ज्यादातर महिलाएं असंगठित संस्थाओं में कार्य करती हैं और नियमहीनता के चलते शोषण का शिकार होती पितृसतात्मक समाज में महिलाओं सदियों से शोषण होता आ रहा हैं इसके अलावा कार्यरत महिलाओं जीवन स्तर खराब पोषाहार स्वास्थ्य में गिरावट के कारण प्रभावित हुआ इस तरह महिलाएं दोहरी शोषण शिकार है।

वर्तमान के दौर में नारी की मुष्किलें बढी है। बढतें मशीनीकरण से नौकरियों में असुरक्षा कम वेतन परंपरागत हुनर की अनदेखी विदेशो कंपनियों की मनमानी शर्त, उनके समक्ष हमारे कानूनों की असमर्थता बढता भ्रष्टाचार, ये परिस्थितियां औरत को न्याय दिलाने में असमर्थ है वैष्वीकरण के कारण विकसित देशों में महिलाओं निर्धनता एवं भेदभाव का शिकार हो रही है। एक ही तरह के काम में पुरूष ओर महिला में भेदभाव किया जा रहा है दोनों के वेतन में भिन्नता है आज भी महिलाए अशिक्षा, कुपोषण और निर्धनता का शिकार हो रही है आज जरूरत इस बात की है कि महिलाओं के श्रम को सीधा उत्पादन से जोडा जाए। उसका उत्पादन से सीधा संबंध सुनिष्चित नहीं होता जबकि परोक्ष रूप से उनका श्रम उत्पादन में सहायक होता हे। इसी कारण से पुरूष विशिष्ट हो गए और औरत महत्वहीन रह गई।

घरेलु हिंसा, अत्याचार,मारपीटः–

एक ही छत के नीचे संयुक्त परिवार/एकल परिवार के पारिवारिक सदस्य जो समग्रता/संगोत्रता/दतक/विवाह द्वारा बनाए गए रिष्ते के रूप में रह रहे महिला एवं बच्चे जो (18 वर्ष या उनमें कम उम्र के हो) किसी भी महिला का शारीरिक मानसिक उत्पीडन या शोषण करना क्षति पहुचना जबरदस्ती, अपमान, आरोप, लगान, मार–पीट दबाव, धमकी,लडाई–झगडा इत्यादि महिला हिंसा कि श्रेणी में आता हैं। यदि यही व्यवहार पारिवारिक सदस्यों नातेदारों पति पुरूष महिला वर्ग द्वारा तथा कार्यालयीन परिवारों के सदस्यों (क्योंकि ये भी एक तरह का परिवार होता है) द्वारा किया जाया तो इसे घरेलु हिंसा कहतें है। ज्यादातर घरेलु हिंसा महिलाओं के पक्ष में ही होती है तथा वृद्ध ओर बच्चे भी इसमें शामिल होते जा रहें हे।

1. किसी भी महिला को कमजोर समझकर या उसे डराने धमकाने या उसका अनुचित लाभ उठाने के लिए कि गई हिंसा को महिला हिसां कि श्रेणी में रखा गया है।
2. यह वो हिंसा है जिसका सामना केवल महिलाओं को घर, परिवार समाज में डरता पडता है।
3. यह दण्डनीय अपराध है।

इसका मुख्य कारण हमारा पुरूष प्रधान समाज हैं । भारत में पत्नी के रूप में नारी की प्रतिष्ठा रही है। उसे गृह लक्ष्मी के रू‍ में सम्बोधित किया जाता हैं पत्नी को पुरूष की अर्धागिनी, सहचारिणी धर्मपत्नी माना जाता है। पत्नी के अभाव में पति द्वारा किये गये कार्य सही नही समझे जाते हैं। विवाह के बाद पति से यह अपेशा की जाती है कि वह पत्नी का भरण पोषण करेगा, उससे प्रेम करेगा और संरक्षण प्रदान करेगा, किन्तु अनेक स्त्रियों के प्रति घर में हिंसा का व्यवहार किया जाता है उन्हें लातों घूसों चाटों व लकडियों (डण्डों) से मारा जाता है।

महिलाओं के प्रति हिसां की समस्या कोई नई नहीं है भारतीय समाज में महिलाए एक लम्बे काल से अवमानना, यातना ओर शोषण का शिकार रही है जितने काल के हमारे पास सामाजिक संगठन और पारिवारिक जीवन के लिखित प्रमाण उपलब्ध है। आज शनैः शनैः महिलाओं को पुरूषों के जीवन में महत्वपूर्ण प्रभावशाली और अर्थपूर्ण सहयोग माना जाने लगा है, परन्तु कुछ दशक पहले तक उनकी स्थिति दयनीय थी विचारधाराओं परम्परागत रिवाजों ओर समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने उनके उत्पीडन में काफी योगदान दिया हैं।

पिछले कुछ दशकों में नारी के प्रति अपराध एवं हिंसा (अथवा हिंसात्मक अपराध) की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है तथा यह समाज वैज्ञानिकों नीति–निर्धारकों, समाज–सुधारकों एवं अन्य सभी के लिए एक गहन चिन्ता का विषय बना हुआ है। सही भी हैं क्योकिं नारी को सुरक्षा व सुख प्रदान करने के बदले पुरूषों ने नारी को तिरस्कृत किया हैं ,उसकी उपेक्षा की है उसका अपमान व शोषण किया है उस पर अत्याचार किये है।तथा यहा तक कि उसके साथ अमानवीय हिंसात्मक व्यवहार भी किया है। मानवीय इतिहास में होने वाली ऐसी घटनाओं की वृद्धि के प्रति वस्तु चिन्ता

होना स्वाभाविक ही है। आज नारी के प्रति अनेक प्रकार के अपराध हो रहे हैं। अपराध कानूनी रूप से परिभाषित शब्द ही नहीं है अपितु सामाजिक दृष्टि से भी परिभाषित शब्द है। सामाजिक दृष्टि से इसे सामाजिक नियमों का उल्लघन या विचलन कहा जाता है। नारी को शारीरिक व मानसिक यातनाएं देना उसके दहेज की बलि चढा देना निष्चित रूप से नारी के प्रति अपराध ही कहें जाएगें पूरे देश में नारियो के प्रति अपराधों एवं हिंसक घटनाओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है एक वर्ष राज्यसभा में सरकार द्वारा केवल दिल्ली के बारे में महिलाओ के प्रति होने वाले अपराधों के बारे में जो आंकडे प्रस्तुत किए गए उनसे यह स्पष्ट पता चलता है कि उनके प्रति अपराधों में वृद्धि हो रही है।

भारतीय सरकार के गृह मंत्रालय के अन्तर्गत नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो प्रति वर्ष भारत में अपराध सम्बन्धी आंकडों का प्रकाशन करता है। इसी संगठन द्वारा प्रकाशित विभिन्न वर्षों के आंकडो जो क्राइम इन इण्डिया में प्रकाशित किये जाते है। उनके अनुसार भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा में वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि होती जा रही है। भारतीय सरकार के गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत कार्यरत संगठन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो प्रति वर्ष भारत में अपराध सम्बन्धी आंकडों का प्रकाशन करता है। इसी संगठन द्वारा प्रकाशित विभिन्न वर्षों के आंकडे जो क्राइम इन इण्डिया में प्रकाशित किये जातें हैं।उनके अनुसार भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा में वर्ष–दर –वर्ष वृद्धि होती जा रही हैं राम आहूजा ने नारी के प्रति होने वाले अपराधों एवं हिसा को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया हैं– (अ) अपराधिक हिंसा, घरेलु हिंसा तथा सामाजिक हिंसा। प्रथम श्रेणी में उन अपराधों को रखा जा सकता हैं। जो कि पुरूष द्वारा नारी के प्रति आपराधिक हिंसा की प्रवृति के कारण किए जाते है। बलात्कार अपहरण तथा हत्या इस प्रकार के अपराधों के प्रमुख उदाहरण है। द्वितीय श्रेणी में परिवारों में नारी के साथ किए जाने वाले शारीरिक और मानसिक उत्पीडन इस श्रेणी के प्रमुख उदाहरण है तीसरी श्रेणी सामाजिक हिंसा की हे, जिसमें पत्नी/बहू को भूण–हत्या के लिए विवश करने छेडछाड युवा विधवाओं को सती के लिए विवश करने नारियों की सम्पति मे हिस्सा न देने बहू को अधिक दहेज लाने के लिए उत्पीडन करने जैसी हिंसक वारदातों को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक हिंसा की यौन उत्पीडन के रूप में भी देखा जा सकता है। दृष्टि अध्ययन संस्थान के एक अध्ययन से घरेलु हिंसा के शिकार निम्न ग्राफ से समझा जा सकता है

1 मानसिक वेदना
2. शारीरिक प्रताडना
3. लैगिंक प्रताडना
4. प्रताडना
5. बलात्कार

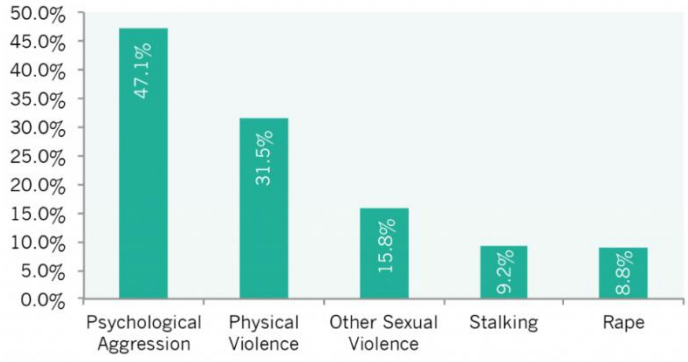

महिलाओं के विरूद्ध घर और बाहर बढती हिंसा सरकार और समाज दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के आंकडे ओर प्रशासन की उनके बारे मे कार्यवाही भी निरंतर चर्चा में है। इनकी रोकथाम और पीडित महिलाओं को ऐसी कानून व्यवस्था और सहायता सेवा देने वाली संस्थाओं की जानकारी देने की है। महिलाओ की समस्याएं समाज में भिन्न है, भारतीय समाज में महिलाएँ शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों प्रकार की है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य न केवल पति–पत्नी अपितु परिवार के समस्त सदस्यों के व्यवहार के द्वारा उत्पन्न होती है। सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सामाजिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने हेतु सहायता प्रदान की गई है। भारतीय समाज तीन वर्गों में विभक्त है–उच्च वर्ग ,मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग। फलस्वरूप तीनो वर्गों की महिलाओं की समस्याएँ अपने वर्ग विशेष पर निर्भर करती है। भरतीय समाज में महिला–पुरूष दोनो को

समान दर्जा प्राप्त है। फिर भी पढी लिखी व स्वावलम्बी महिला को न तो भारतीय समाज ने बराबरी का दर्जा दिया है और न स्वय महिला खुद को बराबर समझने की मानसिकता बना पाई है। टूटते संयुक्त परिवारों युगल जोडे परंपरागत बंधन तोडकर परिवार सीमित दायरे होकर घर से बाहर निकले और दोनों काम करने लगे जिससे बडा परिवर्तन आया महिलाओं समाज मानसिकता बदलाव। पहले काम करने वाली महिलाओं हीन दृष्टि देखा जाता था, लेकिल आज परिस्थति वश मध्यमवर्गीय लोगों का नजरिया बदलने लगा है।

भारत वर्ष कि संपूर्ण जनसंख्या महिलाएँ प्रतिशत 78 प्रतिशत महिलाएँ ग्रामीण अंचलों रहती प्रतिशत महिलाएँ निरक्षर हैं। 75.18 प्रतिशत महिलाओं का विकास करते उन्हें राष्ट्रीय मुख्य धारा जोडतें भारत सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए। जिनमें श्रमजीवी महिलाओं के लिए छात्रावास समाज के कमजोर वर्ग महिलाओं प्रतिशत प्रदान करने और उन्हें दीर्घ कालीन आधार रोजगार के योजना एवं आय उत्पादन इकाइयों की स्थापना करने वाली परियोजनाएँ, संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास प्रतिक्षण केन्द्र/संस्थान महिलाओं एवं लडकियों के लिए अल्प अवधि के आवास गृह महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम महिलाओं प्रतिशत एवं रोजगार प्रमुख रूप से कार्यक्रम प्रमुख उल्लेखनीय है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश हर वर्ष डेढ करोड लडकियों जन्म लेती हैं जिनमें पच्चीस 15 वर्ष की उम्र पहले ही मर जाती हैं। इन लडकियों की मौत का कारण समाज एवं महिलाओं के प्रति भेदभाव का व्यवहार हैं।

वैष्वीकरण से बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा उद्योगों में विदेशी विनियोग में वृद्धि तो होती हैं पर रोजगार में वृद्धि नही होती। उदाहरण के लिए महिलाओं की बरोजगारी 1990–91 में 3.1 प्रतिशत से बढकर 1995–94 में 5.5 प्रतिशत हो गई थी जो आज भी जारी है। अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था अंसगठित क्षेत्र में की गई जहाँ रोजगार में असुरक्षित होना तथा निम्न मजदूरी देना तय है। उद्योग धन्धों में महिला श्रमिकों की मांग श्रम की कार्यक्षमता और कार्य की आवष्यकता के अनुकूल की जाती है। इससे स्पष्ट है कि महिला कर्मिया के रोजगार में स्थायित्व नहीं होता। महिला श्रमिकों को कम मजदूरी के साथ वांछित अधिकारों से भी वंचित होना पडता है। महिलाओं के घरेलु कार्यों को कार्य की श्रेणी में नही माना जाता है महिलाओं के कार्य को की संज्ञा तभी दी जाती हैं। जब वे बाहर जाकर कुछ कार्य करती हों व उसके बदले धन कमा पाती हैं।

सामान्य प्राकृतिक स्रोतों का निजीकरण पर्यावरण के लगातार –हास के लिए जिम्मेदार है, साथ ही ऐसी महिलाओं को जीवन की आवष्यकताओं को भी जुटाने के लिए मेहनत करनी पडती है जिनका जीवन प्राकृतिक स्रोतों से जुडा हैं भारतीय प्राकृतिक स्रोतों का वैष्विक शोषण के लिए मुक्त कर देना कई चुनौतियों को खडा कर रहा हैं उपभोक्तावाद, हिंसा तथा स्वच्छद यौन व्यवहार आदि का समाज व महिलाओं पर घातक प्रभाव पडा हैं। महिलाओं पर बढती हुई घरेलु हिंसा भी चिंतनीय है। महिलाओं के प्रति यौन अपराध उनकी स्थिति को और भयानक बना रहा है। गृह मंत्रालय के क्राइम रिकार्ड ब्यूरो को यदि सच माना जाय तो प्रत्येक 35 मिनट पर महिलाओ के साथ बलात्कार होता हैं या अपहरण होता हैं पति या निकट संबंधी द्वारा महिलाओं की हत्या या यौन शोषण होना आम बात हो गई है। दहेज के कारण 24 महिलाएं रोज मरती हैं बढता हुआ उपभोक्तावाद बावजुद महिलाओं का अवमूल्यन करता है।

इस तरह वैष्वीकरण जहां विकासशील देशों के विकास को सुनिष्चित करता है, वहीं समाज की आर्थिक रूप से गरीब महिलाओं को अधिक उत्पीडित करने का प्रयास करता हैं। इससे महिलाओं का निरंतर–हास तथा उत्पीडन हुआ है। अतः वैष्वीकरण जहाँ कुछ महिलाओं के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ, वहीं कुछ की स्थिति बद से बदतर हो गई हैं।

निष्कर्षः–

वैष्वीकरण जहां विकासशील देशों के विकास को सुनिष्चित करता है, वहीं समाज की आर्थिक रूप से गरीब महिलाओं को अधिक उत्पीडित करने का प्रयास करता हैं। इससे महिलाओं का निरंतर–हास तथा उत्पीडन हो रहा है जो विकास की बजाय देश का सांस्कृतिक पतन एवं आर्थिक गुलामी की ओर समाज को ले जा रहा है घरेलु हिंसा परिवार व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास कर रही है।

अजय दीक्षित, शोधार्थी
डॉ कमल कुमार चौहान, शोध निर्देषक
शोधार्थी,शिक्षा संकाय
लार्ड विष्वविद्यालय अलवर–राजस्थान